जे.पी.आर.5–897
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)
कमरा नं0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर–302005
फोन नं0 – 0141–2747041, फैक्स नं0 – 0141–2744803
ईमेल – se_comml@yahoo.in

क0 जेपीडी/अधी.अ. (वा.)/सी–।/एफ. /प्रे0 1288 जयपुर, दिनांक–18.09.2017

आदेश

विषयः– वी.सी.आर. प्रकरणों की सुनवाई के सम्बन्ध में।

अध्यक्ष डिस्कॉम्स द्वारा जारी स्थायी आदेश संख्या 17/11–सी दिनांक 31.07.2017 के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता द्वारा जाँच प्रतिवेदन के राजस्व निर्धारण से सहमत नही होने पर राजस्व निर्धारण राशि उपभोक्ता के बिल में जुडने से 90 दिन तक वी.सी.आर. मॉनिटरिंग एवं रिव्यू समिति में सुनवाई हेतु स्वीकार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दिनांक 30.06.2016 से पूर्व की लम्बित वी. सी.आर. का निस्तारण आदेश क्रमांक जेपीआर 5–882 दिनांक 28.07.2017 के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है।

उक्त आदेशों के क्रम में निम्न स्पष्टीकरण जारी किये जाते हैः–

1. दिनांक 30.06.2016 से पूर्व के लम्बित सतर्कता जाँच प्रतिवेदनों जिनका राजस्व निर्धारण कर राशि उपभोक्ता के खातो में डेबिट करके वसूल की जा चुकी है, परन्तु कम्पाउण्डिंग राशि वसूल नही की गई है, और ना ही एफ.आई.दर्ज. कराई गई है, ऐसे प्रकरणों को निस्तारित समझा जावे।
2. दिनांक 30.06.2016 से पूर्व के लम्बित सतर्कता जाँच प्रतिवेदनों के जिन मामूलों में उपभोक्ताओं के खातो में राजस्व निर्धारण राशि डेबिट कर दी गई है, परन्तु अभी तक वसूल नही हुई है, उन प्रकरणों को भी जेपीआर 5–882 के प्रावधानों के अनुसार राशि अथवा जमा राशि, जो भी अधिक है, लेकर निस्तारित कर दिया जावे।
3. दिनांक 30.06.2016 के बाद की लम्बित सतर्कता जाँच प्रतिवेदन जिनके राजस्व निर्धारण को बिलों में जुडे हुये 90 दिन से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, परन्तु उपभोक्ताओं ने राशि जमा नही कराई है, उन्हें भी 31.10.2017 तक वी.सी.आर. मॉनिटरिंग एवं रिव्यू समिति में लिया जाकर आदेश संख्या 6 दिनांक 08.04.2015 एवं स्थायी आदेश संख्या 17/11–सी के प्रावधानों के अनुसार निस्तारित किया जा सकता है।
4. जिन मामलों में न्यायालय में चालान पेश हो चुका है, अथवा उपभोक्ता ने न्यायालय में वाद दायर कर रखा है, ऐसे मामलों का उपरोक्त प्रावधानों के तहत् निस्तारण नही किया जावेगा।

सभी संबंधित अधिकारी उपर्युक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से

(ए.के. सण्डेलवाल)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

Desktop/San/JPR